सं0- 652/xxviii(3)-2004/17/2004 (TC)/2005

प्रेषक,

उमाकांत पंवार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महालेखाकार,
उत्तरांचल,
माजरा, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2005

बिषय: सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वभौमिक बीमा योजना हेतु बजट प्राविधान न होने के कारण राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि अग्रिम ली गई थी। जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या-542/xxviii-3-2004/17/2004 (TC) दिनांक 10.9.04 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0 10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) की स्वीकृति दी गयी थी। अग्रिम ली गई धनराशि की वर्ष 2004-05 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा चुकी है (छाया प्रति संलग्न)। इस संबंध में अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

(उमाकांत पंवार)
अपर सचिव

सं0- /xxviii(3)-2004/17/2004 (TC)/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक कोषागार, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-2
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमाकांत पंवार)
अपर सचिव

सं0– 542/XXV।।।–(3)–2004–17/2004टी.सी.

प्रेषक,

अर्जुन सिहं
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकःसितम्बर, 2004

विषयः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6प/निया0/ 35/2004 /20052 दिनांक 7.8.2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का नेशनल इंश्योरेंस तथा ओरियेंटल इंश्योरेंस के सहयोग से बीमा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में कोई प्राविधान न होने तथा उक्त कार्य आवश्यक व अपरिहार्य होने के कारण "सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना " के संचालन के लिए राज्यांश के भुगतान हेतु रू. 10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करके निर्धारित समयान्तर्गत व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन

3–उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों व सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4–उक्त कार्य पर होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक "800 आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा 201"समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक "2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06 लोक स्वास्थ्य 800–अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोधानित योजनाये 0105–सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाने डाला जाएगा।

भवदीय,

(अर्जुन सिह)
संयुक्त सचिव।

सं0– 542/XXV।।।–(3)–2004–17/2004टी.सी.

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकःसितम्बर, 2004

विषयः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6प/निया0/ 35/2004 /20052 दिनांक 7.8.2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का नेशनल इंश्योरेंस तथा ओरियेंटल इंश्योरेंस के सहयोग से बीमा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में कोई प्राविधान न होने तथा उक्त कार्य आवश्यक व अपरिहार्य होने के कारण "सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना " के संचालन के लिए राज्यांश के भुगतान हेतु रू. 10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करके निर्धारित समयान्तर्गत व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन

3–उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों व सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4–उक्त कार्य पर होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक "800 आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा 201"समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक "2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06 लोक स्वास्थ्य 800–अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोधानित योजनाये 0105–सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(अर्जुन सिह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल ओवेरा भवन,सहारनपुर रोड,माजरा देहरादून को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव वित्त

रा0आ0निधि संख्या–62 / रा0आ0 / वि0अनु0–2 / 04

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ट कोषाधिकारी ,देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–2
3– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा परोनिधानित योजनायें			
0101 जन्म मत्य के मख्य निबन्धक कार्यालयों का सद्रढीकरण			
01-वेतन	8	--	8
03-महंगाई भत्ता	1	--	1
06-अन्य भत्ते	1	--	1
08-कार्यालय व्यय	1	--	1
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1	--	1
48-महंगाई वेतन	4	--	4
योग, 01	16	--	16
0105 सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना			
42-अन्य व्यय	1000	--	1000
योग, 01	1016	--	1016
योग, 800	1016	--	1016
योग, 06	1016	--	1016
योग, 2210	43581	--	43581
योग, राजस्व लेखा	43581	--	43581
पूंजी लेखा --------			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
110- अस्पताल तथा औषधालय			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा परोनिधानित योजनायें			
0105 राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा सविधा			
24-वृहत् निर्माण कार्य	12000	--	12000
योग, 110	12000	--	12000
योग, 01	12000	--	12000
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
800- अन्य व्यय			
97- बाह्य सहायतित परियोजनाएं			